

## IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL JURISDICTION)

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956
AND IN THE MATTER OF
M/S REGENCY INDUSTRIES LTD. (IN LIQN.)
IN C.P. NO. 281/1996

ADVERTISEMENT FOR INVITATION OF CLAIMS
TO THE INVESTORS/CLAIMANTS IN VAISHALI GROUP
HOUSING SCHEME AT VAISHALI ENCLAVE,
GHAZIABAD, (U.P.) TO PROVE THEIR CLAIMS

Notice is hereby given to the Investors/claimants in the flats of Vaishali Group Housing Scheme No.12 at Vaishali Enclave, Ghaziabad, (U.P.) of the above named company and they are required to submit to the Official Liquidator Delhi attached to the Hon'ble High Court of Delhi to prove their respective investments/claims against the above said flats of the company by delivering the same at the office of official Liquidator on or before date 14.03.2007 or sending by post to the Official Liquidator so as to reach at the office of the Official Liquidator Delhi not later than the aforesaid date along with an affidavit in support of their investments/claims on a non-judicial stamp paper in Form No. 66 of the Companies (Courts) Rules, 1959, along with photocopy of original documents proving their investments/claims and title to priority under section 529A of the companies Act.1956. Any investors/claimants to the above said flats who fails to submit his/her affidavit or proof of his/her debt within the aforesaid time limit will be excluded from the benefits of any entitlement before his/her investments/claims is proved or as the case may be from objection to such entitlement.

Any investors/claimants to the above said flats who has sent his/her proof, if so, required by notice in writing from the official liquidator Delhi, shall either in person or by his/her advocate attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of his/her debt or claim as may be required.

(A. K. CHATURVEDI)
OFICIAL LIQUIDATOR.
HIGH COURT OF DELHI
A-2, W-2, CURZON ROAD, BARRACKS,
K. G. MARG, NEW DELHI-110001
PH.: 011-23389507, 23388405

Date: 09.02.2007 Place: New Delhi

## नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में

(मूल क्षेत्राधिकार) कंम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में एवं

मैसर्स रीजेन्सी इंडस्ट्रीज लि. (समापन में) के मामले में सी.पी. नं. 281/1996 में

अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए वैशाली एन्क्लेव, गाजियाबाद (उ.प्र.) मे वैशाली ग्रुप हाउसिंग स्कीम मे निवेशको /दावेदारों के दावे के आमंत्रण के लिए विज्ञापन

ऊपर नामित कम्पनी के वैशाली एन्क्लेव गाजियाबाद (उ.प्र.) में वैशाली ग्रुप हाउसिंग स्कीम नं. 12 के फ्लैट्स में निवेशको/दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें कम्पनी के उपरोक्त फ्लैटों में अपने संबंधित निवेशों /दावे को प्रमाणित करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध शासकीय परिसमापक दिल्ली के पास संबंधित उपयुक्त दस्तावेजों को जमा कराना होगा जिसे वे दिनाँक 14.3.2007 अथवा उससे पूर्व शासकीय परिसमापक के पास डाक द्वारा इस तरह से भेज सकते हैं की जिससे की वह शासकीय परिमापक, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम उपरोक्त तिथि तक पहुँच जाये। इन दस्तावेंजो के साथ ही उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 539 ए के अंर्तगत अपने निवेशों/दावों तथा प्रमाणिकता के टाईटल को प्रमाणित करने वाले मूल दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ कम्पनीज (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र संख्या 66 में एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपने निवेशको/दावों के समर्थन में शपथ पत्र भी जमा कराना होगा। उपरोक्त फ्लैटों के कोई भी निवेशक /दावेदार यदि अपना शपथ पत्र अपना अपने ऋण के प्रमाण को उपरोक्त समय सीमा के भीतर जमा कराने में विफल होते हैं तो उन्हें उनके निवेशको /दावों को प्रमाणित होने से पहले किसी भी आधिकारिता के लाभों को अथवा जैसा भी मामला होगा ऐसी आधिकारिता पर आपत्ति करने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त फ्लैटों के कोई भी निवेशक /दावेदार जिन्होने अपने प्रमाण भेज दियें हो यदि शासकीय परिसमापक से लिखित में सूचना द्वारा ऐसा वांद्वित हो, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस सूचना में निंदिष्ट होने वाले समय एवं स्थान पर ऐसे ऋण अथवा दावे की जाँच के समय उपस्थित हो सकते हैं तथा जैसा भी वांद्दित हो, अपने ऋण अथवा दावे का आग्रिम साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। (ए.के. चतुर्वेदी)

शासकीय समापक दिल्ली उच्च न्यायालय

ए—2, डब्ल्यू—2, कर्जन रोड, बैरक्स,

दिनाँक: 09.02.2007 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 स्थान : नई दिल्ली फोन नं. 011-23389507 / 23388405